न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 84 / 2021(2021 / 00132)

अनवान : —

1. मदनलाल पुत्र झिन्डुराम जाति रेगर निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. ओमप्रकाश पुत्र झिन्डुराम जाति रेगर निवासी भादरा तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. चन्दूलाल पुत्र झिन्डुराम जाति रेगर निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता तक्सीम
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री लीलाधर अग्रवाल वादीगण अधिवक्ता
श्री सुरेन्द्र गढ़वाल प्रतिवादी अधिवक्ता

दिनांक :- 04/5/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 केआरपी सम्वत 2073—76 के खाता संख्या 40 / 43 के मु0 न0 18 के किला न0 7 / 1, 12ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24, मुरब्बा न0 29 के किला न0 2 ता 4, 13 ता 18, 24, 25, मुरब्बा न0 41 के किला न0 1 ता 10, 14, 15 इस प्रकार कुल किता 33 की कुल 7.616 हैक्टेयर जिसमें नहरी 7.3410 हैक्टेयर खाला 0.275 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने—अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग—अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत, सींव डोल व अन्य लगान इत्यादि की बाबत अकसर तनाजा होते रहते है एवं रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का मुताबिक वाहमी बंटवारा व कब्जा काश्म के अनुसार खाता तकसीम किया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया, जो तसदीक बाद शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट का जवाब प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया।

राजीनाम पेश होने के उपरान्त वादीगण या प्रतिवादी पक्षकारान के द्वारा मुताबिक राजीनामा दिनांक 07.07.2021 के अनुसार वाद भूमि का खाता तक्सीम कर पक्षकारान के नाम अलग—अलग खाते कायम किये जाकर उनका माल व लगान अलग से कायम किये जाने का निवेदन किया।

साक्ष्यवादी में वादी ओमप्रकाश पुत्र झिन्डुराम जाति रेगर निवासी वार्ड न0 16, भादरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। साक्ष्यवादी में नजरी नक्शा चक 1 केआरपी प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 1 केआरपी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 40/43 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस सुनी जाने के उपरान्त दावा में प्रस्तुत दस्तावेजात व राजीनामा का अवलोकन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन राजीनामा दिनांक 07.07.2021 के अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाने योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है।

मदनलाल पुत्र झिन्डुराम – रोही मौजा चक 1 केआरपी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 40/43 के मु0 न0 18 के किला न0 12, 13, 18, 19, 22, 23 की कुल 1.518 हैक्टेयर, मुर0 न0 29 के किला न0 2, 3, 17 प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला न0 14 की 0.051 है0, किला न0 24/2 की 0.216 है0 खातेदारी कृषि भूमि की कुल 2.544 हैक्टर नहरी 2.494 व खाला 0.050 हैक्टर

ओमप्रकाश पुत्र झिन्डुराम – रोही मौजा चक 1 केआरपी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 40/43 के मु0 न0 18 के किला न0 7/1 की 0.126 है0, किला न0 01, 14, 17, 24 प्रत्येक किला की 0.253 है0, मुरब्बा न0 29 के किला न0 4, 18 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, किला न0 13 की 0.051 है0, मुरब्बा न0 41 के किला न0 1/1 की 0.151 है0, किला न0 2, 3, 4, 5 की 1.012 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 2.605 हैक्टेयर जिसमें नहरी 2.430 हैक्टेयर खाला 0.175 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि

चन्दूलाल पुत्र झिन्डुराम – रोही मौजा चक 1 केआरपी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 40/43 के मुरब्बा न0 29 के किला न0 15 की 0.051 है0, किला न0 16, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला न0 24/1 की 0.037 है0, मुरब्बा न0 41 के किला न0 1/2 की 0.102 है0, किला न0 6 की 0.253 है0, किला न0 7, 8, 9, 10 की 1.012 है0, किला न0 14, 15 की 0.506 है0 इस प्रकार कुल 2.467 हैक्टेयर जिसमें नहरी 2.417 हैक्टेयर खाला 0.050 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि

इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम खाता अलग अलग दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें व उनका इसी प्रकार माल व लगान अलग से कायम किया जावें। वादी भूमि जो बैंक के रहन है उनके हिस्सा पर रहन नामा यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/4/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राज) R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 84 / 2021(2021 / 00132)

अनवान : –

1. मदनलाल पुत्र झिन्डुराम जाति रेगर निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. ओमप्रकाश पुत्र झिन्डुराम जाति रेगर निवासी भादरा तहसील भादरा।

–वादीगण

बनाम

1. चन्दूलाल पुत्र झिन्डुराम जाति रेगर निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है

मदनलाल पुत्र झिन्डुराम – रोही मौजा चक 1 केआरपी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 40 / 43 के मु0 न0 18 के किला न0 12, 13, 18, 19, 22, 23 की कुल 1.518 हैक्टेयर, मुर0 न0 29 के किला न0 2, 3, 17 प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला न0 14 की 0.051 है0, किला न0 24 / 2 की 0.216 है0 खातेदारी कृषि भूमि की कुल 2.544 हैक्टर नहरी 2. 494 व खाला 0.050 हैक्टर

ओमप्रकाश पुत्र झिन्डुराम – रोही मौजा चक 1 केआरपी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 40 / 43 के मु0 न0 18 के किला न0 7 / 1 की 0.126 है0, किला न0 01, 14, 17, 24 प्रत्येक किला की 0.253 है0, मुरब्बा न0 29 के किला न0 4, 18 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, किला न0 13 की 0.051 है0, मुरब्बा न0 41 के किला न0 1 / 1 की 0.151 है0, किला न0 2, 3, 4, 5 की 1.012 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 2.605 हैक्टेयर जिसमें नहरी 2.430 हैक्टेयर खाला 0.175 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि

चन्दूलाल पुत्र झिन्डुराम – रोही मौजा चक 1 केआरपी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 40 / 43 के मुरब्बा न0 29 के किला न0 15 की 0.051 है0, किला न0 16, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला न0 24 / 1 की 0.037 है0, मुरब्बा न0 41 के किला न0 1 / 2 की 0. 102 है0, किला न0 6 की 0.253 है0, किला न0 7, 8, 9, 10 की 1.012 है0, किला न0 14, 15 की 0.506 है0 इस प्रकार कुल 2.467 हैक्टेयर जिसमें नहरी 2.417 हैक्टेयर खाला 0.050 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि

इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम खाता अलग अलग दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें व उनका इसी प्रकार माल व लगान अलग से कायम किया जावें। वादी भूमि जो बैंक के रहन है उनके हिस्सा पर रहन नामा यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/4/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शंकुतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्डअधिकारी (राजस्व)
भादराजिलाहनुमानगढ़